

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

दिनांक

कर्मचारी पत्रावली व/उ कालूराम वर्मा

6/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आर्क्ष. उफ. वादी आर्क्ष.  
के साक्ष्यवादी उल्लेख करने हेतु वर्ष 22 से  
निरन्तर अवकाश मिले जा रहे हैं। अतिरिक्त मबर  
दिनांक 20/3/25 को पत्रावली वाले साक्ष्यवादी हेतु दिनांक

  
6/3/25

20/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आर्क्ष. उफ. वादी आर्क्ष.  
द्वारा पत्रावली की आदेशिका पर "वादी द्वारा वादपत्र  
में कोई कार्यवाही नहीं चाहते NMT Press" का अंकन  
किया जाने से पत्रावली में कोई कार्यवाही अंगीकृत  
नहीं है। अतः वादी द्वारा उल्लेख वाद अन्तर्गत  
धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी  
आधिनियम की वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहते  
(NMT Press) से निर्णय किया जाता है।

निर्णय से उल्लेख सुनाया

उपरोक्त पत्रावली फाइनल सुमार लेकर दायित्व दफ्तर  
ही, उचित पर्चा जारी लेकर पत्रावली नम्बर से  
कम हो।

  
20/3/2025

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

वादी वादपत्र में  
कोई कार्यवाही  
नहीं चाहते है  
NMT Press  
Rakesh

103/25  
25

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. कन्हैयालाल पुत्र भैरू लाल जी चमार निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चान्दमल पुत्र भैरू लाल जी चमार निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नन्दलाल पुत्र अमरचन्द चमार निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. किशन पुत्र अमरचन्द चमार निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पुत्र अमरचन्द चमार निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मोती लाल पुत्र अमरचन्द चमार निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. कालुराम पिता रामकरण जी पारीक निवासी हॉस्पिटल के पास पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत खातेदारो की घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व दिलाने कब्जा

प्रकरण संख्या 103/2010 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री राकेश सुराणा उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने (Not press) से निर्णित किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा